

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2458]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2014/अग्रहायण 13, 1936

No. 2458]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2014/AGRAHAYANA 13, 1936

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2014

का.आ.3052(अ).—जबकि मैसर्स लेन्को तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड, आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय लेन्को हाऊस, प्लॉट संख्या 4, सॉफ्टवेयर यूनिट ले आऊट, हाइटेक सिटी, माधापुर, हैदराबाद-500008 में है, ने निम्नलिखित पारेषण लाइन के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन किया है:-

(i) सिक्किम में तीस्ता-VI जल विद्युत परियोजना (500 मेगावाट) विद्युत घर से पीजीसीआईएल के रंगपो पूलिंग स्टेशन तक 220 केवी डी/सी समर्पित पारेषण लाइन।

2. और जबकि, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 04.06.2013 के अपने पत्र संख्या 11/06/2012-जी (लेन्को) के माध्यम से सिक्किम में तीस्ता-VI जल विद्युत परियोजना (500 मेगावाट) विद्युत गृह से पीजीसीआईएल के रंगपो पूलिंग स्टेशन तक 220 केवी डी/सी समर्पित पारेषण लाइन के निर्माण के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 की उप-धारा (i) के अन्तर्गत पूर्व में अनुमोदन प्रदान किया था।

और जबकि आवेदक ने अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अन्तर्गत उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है जो कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने के लिए टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइनें बिछाने और खम्भे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास होती हैं। स्कीम के अन्तर्गत शामिल पारेषण लाइन निम्नलिखित गाँवों, नगरों और शहरों के भीतर से, ऊपर से, आस-पास से और बीच में से होती हुई गुजरेंगी:

220 केवी डी/सी तीस्ता-VI रंगपो पारेषण लाइन:-

क्र.सं.	गाँव का नाम	रेवेन्यू ब्लॉक	सब डिवीजन	जिला	राज्य
1	करेक	नामथांग	नामची	दक्षिण सिक्किम	सिक्किम
2	झुलंगी	नामथांग	नामची	दक्षिण सिक्किम	सिक्किम
3	कमलाते	नामथांग	नामची	दक्षिण सिक्किम	सिक्किम
4	कसौर	नामथांग	नामची	दक्षिण सिक्किम	सिक्किम
5	तारंग	नामथांग	नामची	दक्षिण सिक्किम	सिक्किम

अतः अब सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात्, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, विद्युत के अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु उपर्युक्त उल्लिखित लाइन की संस्थापना के लिए निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अन्तर्गत आवेदक को वे सभी शक्तियां प्रदान करता है जो सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित टेलीग्राफ अथवा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले दूरसंचार के उद्देश्यों के लिए टेलीग्राफ लाइनें बिछाने और खम्भे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास होती हैं, अर्थात्:-

- यह अनुमोदन 25 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है,
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन के निर्माण से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को पारेषण, प्रचालन एवं अनुरक्षण, खुली पट्टा आदि के संबंध में उपर्युक्त आयोग के विनियमों/संहिताओं का अनुपालन करना होगा।
- आवेदक को सुबिनखोर में तीस्ता-VI जल विद्युत परियोजना (500 मेगावाट) विद्युत घर से सिक्किम में पीजीसीआईएल के रंगपो पूलिंग स्टेशन तक 220 केवी डी/सी पारेषण लाइन के निर्माण का उत्तरदायित्व है। कार्यों का ब्यौरा मई 24-30 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- आवेदक संबंधित राज्यों के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का आवेदक द्वारा अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

[फा. सं. 11/30/2014]

ज्योति अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 2nd December, 2014

S.O.3052(E).— Whereas M/s. Lanco Teesta Hydro Power Ltd., the applicant with its Registered Office at Lanco House, Plot No. 4, Software Units Layout, Hitech City, Madhapur, Hyderabad-500081 has applied for approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for construction of (the following Transmission lines:

- 220kV D/c dedicated transmission line from Teesta-VI HEP(500 MW) power house to Rangpo Pooling Station of PGCIL in Sikkim.

2. And whereas Government of India, Ministry of Power vide letter No. 11/6/2012-PG(LANCO) dated 04.06.2013 had granted prior approval under sub-section (i) of Section 68 of the Electricity Act, 2003 in respect of construction of 220kV D/c dedicated transmission line from Teesta-VI HEP(500MW) power house to Rangpo Pooling Station of PGCIL in Sikkim.

3. And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained for the works. The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:-

220 kV D/C Teesta-VI – Rangpo Transmission Line:

SI. No.	Village Name	Revenue Block	Sub Division	District	State
1.	Karek	Namthang	Namchi	South Sikkim	Sikkim
2.	Jhulangi	Namthang	Namchi	South Sikkim	Sikkim
3.	Kamlate	Namthang	Namchi	South Sikkim	Sikkim
4.	Kasur	Namthang	Namchi	South Sikkim	Sikkim
5.	Turung	Namthang	Namchi	South Sikkim	Sikkim

Now, therefore, after careful consideration, Government of India, Ministry of Power, confers, under Section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the applicant which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line for inter-state transmission of electricity, namely:-

- (i) the approval is granted for 25 years;
- (ii) the Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) the Applicant shall have to follow regulations /codes of the appropriate commission regarding transmission, O&M, open access etc;
- (iv) the Applicant shall have the responsibility of construction of 220kV D/c transmission line from Teesta-VI HEP(500 MW) power house at Subinkhore to Rangpo Pooling Station of PGCIL in Sikkim. The details of the works are published in the Gazette of India of May 24 – May 30, 2014.
- (v) the Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States;
- (vi) the approval is subject to compliance by the Applicant of the requirement of the provisions of The Electricity Act, 2003 and the rules made there under.

[F.No. 11/30/2014]
JYOTI ARORA, Jt. Secy.